न्यायालय, आयुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा।

ज्ञापांक 3362 /विधि सहरसा, दिनांक 22-11-2023

प्रतिलिपिः- विमला देवी, पति-किशोरी राम / महेन्द्र दास, पिता-स्व0 बिलट दास सा0+पो0+थाना-छातापुर, जिला-सुपौल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- आई0टी0 असिस्टेंट, कोशी प्रमंडल, सहरसा को आदेश की प्रति संलग्न करते हुए प्रमंडलीय बेवसाईट पर अपलोड कर वापस करने हेतु प्रेषित।

22/11/23

for प्रभारी पदाधिकारी, विधि
कोशी प्रमंडल, सहरसा।

छातापुर	(पुराना)	1992 (नया)	0-0-8 धूर के उत्तर से	प0 - सुनील सिंह उ0 - महेन्द्र दास द0 - विमला देवी 12 धूर

अपीलार्थी का मूल रूप से कहना है कि प्रतिवादी द्वारा अपने नाम पर पंजीकृत विलेख सं0-3008 दिनांक 04.08.2016 मौजा छातापुर पुराना खाता सं0-314 पुराना प्लॉट सं0-1526 क्षेत्र 0-1.5 डिसमिल (8 धूर) परमेश्वरी ठाकुर पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर ठाकुर से जमीन खरीदी और केवाला उनके निष्पादन से पहले वर्ष

अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १९.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या–22/2018

महेन्द्र दास.....अपीलकर्त्ता

–बनाम–

विमला देवी.....रेसपॉण्डेन्ट

–:: आदेश ::–

प्रस्तुत भूमि विवाद अपीलवाद महेन्द्र दास, पिता–स्व0 विलट दास, सा0+पो0+थाना–छातापुर, जिला–सुपौल ने विमला देवी, पति–किशोरी राम, सा0+पो0+थाना–छातापुर, जिला–सुपौल को प्रतिवादी बनाते हुए भूमि विवाद निराकरण अधिनियम अन्तर्गत न्यायालय सक्षम **प्राधिकार–सह–भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता**, त्रिवेणीगंज के यहाँ दायर भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या–22/2017–18 विमला देवी बनाम महेन्द्र दास में दिनांक–09.04.2018 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है।

प्रश्नगत भूमि का विवरण निम्न है :–

मौजा / थाना न0	खाता	खेसरा	रकवा	अभ्युक्ति
छातापुर	314 (पुराना)	1328 (पुराना) 1992 (नया)	0–1–0 में से 0–0–8 धूर के उत्तर से	चौहद्दी पूरब – सड़क प0 – सुनील सिंह उ0 – महेन्द्र दास द0 – विमला देवी 12 धूर

अपीलार्थी का मूल रूप से कहना है कि प्रतिवादी द्वारा अपने नाम पर पंजीकृत विलेख सं0–3008 दिनांक 04.08.2016 मौजा छातापुर पुराना खाता सं0–314 पुराना प्लॉट सं0–1526 क्षेत्र 0–1.5 डिसमिल (8 धूर) परमेश्वरी ठाकुर पुत्र स्व0 श्याम सुन्दर ठाकुर से जमीन खरीदी और केवाला उनके निष्पादन से पहले वर्ष

2003 से मौखिक रूप से भूमि पर कब्जा कर लिया जिसकी प्रक्रिया बिहार राज्य में लंबित / प्रक्रियाधीन है। अपीलकर्त्ता द्वारा वर्ष 2003 में खरीदी गयी भूमि पर घर और सीढ़ी बनायी और अपने परिवार के सदस्य के साथ इस भूमि पर रह रहे हैं। खाता पुराना 314 पुराना प्लॉट नम्बर 1326 नया प्लॉट नम्बर 1992 कुल क्षेत्र 8 धूर उस मौजा छातापुर में विवादित जमीन है। जिस पर प्रतिवादी को वैध अधिकार एवं कब्जा नहीं मिला है साथ ही विवादित भूमि की सीमा अस्पष्ट एवं अनिश्चित है प्रतिवादी अतिरिक्त 1 (एक) कट्ठा 2 धूर अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किये हैं। निचली अदालत द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया कि प्रतिवादी का मुकदमें की जमीन पर कभी भी मालिकाना हक और कब्जा नहीं मिला। अतः श्रीमान के न्यायालय में आग्रह है कि अपीलार्थी के अपील को स्वीकार किया जाय।

प्रतिवादी की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा बहस में भाग लेते हुए कहना है कि उन्होंने केवाला सं0-2763 दिनांक 15.07.208 के द्वारा वर्णित खाता, खेसरा की 0-1-0 कट्ठा जमीन खरीद किया जिसके आगे रकवा में घर दरवाजा बनाकर रह रही है। उक्त जमीन की जमाबंदी नं0-2637 कायम हुई और वर्तमान तक लगान रसीद प्राप्त है। आवेदक जो धनीमनी और दबंग व्यक्ति है द्वारा **प्रश्नगत रकवा पर जोर जबरदस्ती अवैध कब्जा** करते हुए पूरब तरफ से अपने मकान की सीढ़ी बना लिया तथा हमेशा धमकी मारपीट और गाली-गलौज भी करता रहता है जिस कारण फौजदारी न्यायालय में वाद भी दाखिल किया गया है। अंचल अमीन से भी भूमि की पैमाईश करवायी गयी जिसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रतिवादी के प्रश्नगत रकवा को वादी द्वारा जबरन दखल कर उस पर सीढ़ी बना लिया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा पहल करने के बावजूद भी अवैध कब्जा नहीं हटाये। लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज एवं न्यायालय सक्षम प्राधिकार-सह-भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, त्रिवेणीगंज, सुपौल द्वारा भी जाँचोपरान्त उनके अवैध कब्जा को सत्य पाते हुए 30 दिन के अन्दर अवैध कब्जा को हटाने का आदेश दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए जो कि भूमि के स्वामित्व का कोई मामला नहीं है बल्कि अवैध कब्जा का मामला है जिसको खारिज करते हुए तुरंत अवैध कब्जा से मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाय।

उभय पक्ष को सुनने के उपरांत उपर्युक्त तथ्यों, उनके

द्वारा समर्पित साक्ष्यों एवं अभिलेख पर रक्षित कागजातों तथा निम्न न्यायालय अभिलेख/संचिका के परिशीलनोंपरांत परिलक्षित होता है कि निम्न न्यायालय का आदेश बिल्कुल सही है तथा वाद को खारिज करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को सम्पुष्ट किया जाता है। इसी के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इसकी सूचना सभी संबंधितों को देते हुए निम्न न्यायालय से प्राप्त संचिका/अभिलेख संबंधित कार्यालय को वापस करें।

13/11/23

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा

लेखापित एवं संशोधित।

13/11/23.

प्रमंडलीय आयुक्त
कोशी प्रमंडल, सहरसा।